राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या –1891/2014/उदयपुर

श्री खेतराम पुत्र श्री हीराजी डांगी
निवासी–भुतिया तहसील गिर्वा थाना कुराब जिला–उदयपुर — अपीलार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिए आयुक्त,आबकारी,उदयपुर
2.अतिरिक्त आयुक्त,आबकारी, बीकानेर
3.जिला आबकारी अधिकारी, चूरू — प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य.

श्री मदन लाल, सदस्य.

उपस्थितः

श्री मनीष सेठी एवं श्री सुनील पारीक
अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक — प्रत्यर्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 06.01.2015

निर्णय

प्रार्थी द्वारा उक्त अपील अपीलं राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 9क के अन्तर्गत अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी, जोधपुर द्वारा पारित आदेश क्रमांक प.29(बी)पीएस/वाहन/आब/2014/4188 दिनांक 08.10.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

उक्त आबकारी अपील के सम्बन्ध में उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा आबकारी अधिनियम के सम्बन्धित प्रावधानों का अवलोकन किया गया। आबकारी अधिनियम की धारा 9ए के तहत अपील व निगरानी के स्पष्ट प्रावधान हैं कि आबकारी अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील आबकारी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है तथा आबकारी आयुक्त के आदेश को राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। धारा 9ए(1) उद्धरित करना समीचीन होगा –

9A. Appeals & Revision - (1) An appeal shall lie -

(a) to the Excise Commissioner from any order passed by an Excise Officer under this Act, and

(b) to the Division bench of the Rajasthan Tax Board constituted under Sec. 88 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, from any order passed by the Excise Commissioner under this Act otherwise than on appeal.

प्रस्तुत अपील अतिरिक्त आबकारी आयुक्त के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। आबकारी अधिनियम की धारा 3(7) के अन्तर्गत आबकारी अधिकारी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है –

3(7) - "Excise Officer" means any officer or person other than the Excise Commissioner, appointed under Sec 9 or invested with power of an excise officer under this Act."

अर्थात् आबकारी आयुक्त के अतिरिक्त धारा 9 के तहत नियुक्त अधिकारी या व्यक्ति या जिसे आबकारी अधिकारी की आबकारी अधिनियम के तहत शक्तियां प्रदत्त हैं, आबकारी अधिकारी कहलायेगा।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 9ए (समय–समय पर यथा संशोधित) के अन्तर्गत राजस्थान कर बोर्ड को आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध अपील एवं निगरानी सुनने के अधिकारिता है। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आदेश, जिसके विरूद्ध हमारे समक्ष अपील पेश की गयी है, अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी, उदयपुर द्वारा पारित किया गया हैं। अतः इस आदेश के विरूद्ध अपील कर बोर्ड के समक्ष श्रवण योग्य नहीं है।

अधिनियम की धारा 9ए की उपधारा (1)(बी) (समय–समय पर यथा संशोधित) के अन्तर्गत कर बोर्ड द्वारा आबकारी आयुक्त द्वारा ही अधिनियम के अन्तर्गत पारित किसी आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील की ही सुनवायी की जा सकती है। अधिनियम की धारा 3(5) के अन्तर्गत परिभाषित आबकारी आयुक्त में अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी को शामिल नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील कर बोर्ड द्वारा प्रथम दृष्टया श्रवण योग्य नहीं होने के कारण खारिज की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

06.01.15

(मदन लाल)

सदस्य

(सुनील शर्मा)

सदस्य